

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
महोबा।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,

उ०प्र०, शिविर कार्यालय लखनऊ।

संख्या : 135/सी०आर०सी०/द्वि०मू०सू०/2012

दिनांक : १२/०७/२०१२

विषय : जनपद महोबा के स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत तीनों उप निबन्धक कार्यालयों से प्राप्त द्विवार्षिक मूल्यांकन प्रस्तावों को दिनांक 10.07.2012 से प्रभावी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 50(1-5)/टी०ए०सी०-102/शि०का०लख०/2012 दिनांक 11.04.2012 के द्वारा मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण दिनांक 30.06.2012 तक प्रभावी किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अनुक्रम में जनपद महोबा की भूमि का द्विवार्षिक पुनरीक्षित मूल्यांकन कराकर दरें निर्धारित कर ली गयी है तथा जिसे दिनांक 10.07.2012 से जनपद महोबा में प्रभावी कर दिया गया है।

कृपया अनुरोध है कि तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।
संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय

(डा० काजल)

जिलाधिकारी,

महोबा।

प्रतिलिपि : संलग्नक सहित निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. सचिव संस्थागत वित्त उ०प्र० शासन लखनऊ।
3. अपर सचिव एवं स्टाम्प आयुक्त राजस्व परिषद उ०प्र० इलाहाबाद।
4. आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बौदा।
5. उप आयुक्त स्टाम्प चित्रकूटधाम मण्डल बौदा।
6. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)महोबा/सहायक आयुक्त स्टाम्प महोबा।
7. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/उप निबन्धक जनपद महोबा को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रभावी दिनांक से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
8. रीडर न्यायालय जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट महोबा/स्टाम्प लिपिक/मुख्य निबन्धन लिपिक कलेक्ट्रेट महोबा।

जिलाधिकारी,

महोबा।

शुद्धि महोबा जनपद की महोबा

(जिलाधिकारी द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची)

उत्तर प्रदेश स्टाफ (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत तहसील महोबा (सदर) के अन्तर्गत स्थित सम्पत्तियों हेतु प्रभावी द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची की निर्धारित न्यूनतम मूल्यांकन की दरें

प्रभावी दिनांक 10.7.2012

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत तहसील महोबा जपद महोबा के अन्तर्गत स्थित सम्पत्तियों की द्विवार्षिक विधार्थित न्यूनतम मूल्यांकन दरें :-

(1)

दिनांक : 10-7-2012 से प्रभावी

जनपद महोबा की तहसील महोबा में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रवार (श्रेणीवार) वर्गीकरण :-

नगरीय क्षेत्र

(1) नगर पालिका परिषद महोबा -

इसके अन्तर्गत नगर पालिका महोबा में सम्मिलित मुहल्ले एवं निम्नलिखित राजस्व ग्राम शामिल हैं। -

1. महोबा
2. भटीपुरा
3. दरीबा
4. फतेहपुर बजरिया

(2) नगर पंचायत कबरई -

इसके अन्तर्गत नगर पालिका महोबा में सम्मिलित मुहल्ले एवं निम्नलिखित राजस्व ग्राम शामिल हैं। -

1. कबरई
2. मोथीपुरा
3. गौहारी
4. बघवा
5. मरहठी

अर्धनगरीय क्षेत्र

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम शामिल हैं। -

- | | | | |
|------------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 1. बिलबई | 2. किडारी | 3. बीजानगर | 4. शाहपहाड़ी |
| 5. मामना | 6. मुढहरा | 7. रहलिया | 8. मिरतला |
| 9. बम्हारी गौसाई | 10. चन्दपुरा | 11. चौदौ | 12. पयपहरा (परगना महोबा) |
| 13. नथपुरा | 14. बनियातला महानपुरा | | |

उप निबन्धक
महोबा (सरदर)

उपनिताधिकारी
महोबा

सहायक महानिरीक्षक जिल्लातलक
महोबा

पर निबन्धकार
वित्त/राजस्व
दैन जिला निबन्धक
महोबा

द्वितीयकारी
महोबा

(2)

ग्रामीण क्षेत्र (श्रेणी क)

1. उटियाँ (महोबा)
2. कालीपहाड़ी (महोबा)
3. खन्ना (मौदहा)
4. गंज (महोबा)
5. गुगाँरा (महोबा)
6. उहर्षा (महोबा)
7. धरौन (महोबा)
8. पहरा (महोबा)
9. मकरबई (महोबा)
10. बीलादक्षिण (महोबा)
11. सिजहरी (महोबा)
12. श्रीनगर (महोबा)

ग्रामीण क्षेत्र (श्रेणी ख)

- इसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र एवं अर्धनगरीय क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्रामों को छोड़कर तहसील महोबा के शेष ग्राम शामिल हैं जो निम्नलिखित है :-
1. अकबई (मौदहा)
 2. अटधार (मौदहा)
 3. अतरारमाफ (महोबा)
 4. अभिलाही (महोबा)
 5. इमिलिया (महोबा)
 6. उरवारा (महोबा)
 7. कुरुहड़ौरामाफ (महोबा)
 8. कुलकुंवा (मौदहा)
 9. कैमहा (महोबा)
 10. कैमाहा (महोबा)
 11. करपहाड़िया (महोबा)
 12. करहराकला (महोबा)
 13. कहरा (महोबा)
 14. कोहारी (महोबा)
 15. ख्यौरैया ज्यौरिया (महोबा)
 16. खमहरिया (मौदहा)
 17. खरका (महोबा)
 18. खिरुही (मौदहा)
 19. गहरा (महोबा)
 20. गोपालपुरा (महोबा)
 21. न्योड़ी (मौदहा)
 22. धन्दुवा (मौदहा)
 23. घुटवई (महोबा)
 24. चकमरैला (महोबा)
 25. चुरवरा (महोबा)
 26. चिचारा (मौदहा)
 27. चितइर्या (महोबा)
 28. छानीकला (महोबा)
 29. छिकहरा (महोबा)
 30. जुझार (महोबा)
 31. झिरसहेबा (महोबा)
 32. टौरिया बरा (महोबा)
 33. टीकामऊ (महोबा)
 34. उड़तमाफ (महोबा)
 35. डिगारिया (महोबा)
 36. दुड़ैया (महोबा)
 37. दिकवाहा (महोबा)
 38. तमौरा (मौदहा)
 39. तितुंही (मौदहा)
 40. तितौली (महोबा)
 41. थाना (महोबा)
 42. दमौरा (महोबा)
 43. ननौरा (महोबा)
 44. नुरपुर (मौदहा)
 45. नहदौरामाफ (महोबा)
 46. नेगर्वा (महोबा)
 47. पसवारा (महोबा)
 48. पिडारी (महोबा)
 49. पिपराभाफ (महोबा)
 50. पचपहरा (मौदहा)
 51. पचहरा (महोबा)
 52. परसहा (महोबा)
 53. पलका (महोबा)
 54. पवा (महोबा)
 55. पुरा (मौदहा)
 56. बिलखी (महोबा)
 57. बन्नी (मौदहा)
 58. बबेड़ी (महोबा)
 59. बरबई (महोबा)
 60. बरमहौली (मौदहा)
 61. बरा (महोबा)
 62. बम्हौरीकाजी (महोबा)
 63. बरातपहाड़ी (महोबा)
 64. बरी (महोबा)
 65. बरीपुरा (महोबा)
 66. बलकौरा (महोबा)

उप निदेशक
महोबा (सादर)

उप निदेशक
महोबा

उप निदेशक
महोबा

उप निदेशक
महोबा

उप निदेशक
महोबा

- (3)
- | | | | |
|-----|------------------------|-----|-----------------------|
| 67. | बसौरा (महोबा) | 89. | सिजवाहा (महोबा) |
| 68. | बीलाउत्तर (महोबा) | 90. | सिरसीखुर्द (मौदहा) |
| 69. | बिलरही (महोबा) | 91. | सिजरिया (महोबा) |
| 70. | बांहिगा (मौदहा) | 92. | सुकौरा (मौदहा) |
| 71. | भटवेर (महोबा) | 93. | सुरहा (महोबा) |
| 72. | भडरा (महोबा) | 94. | सेलामाफ (महोबा) |
| 73. | भैस्तामाफ (महोबा) | 95. | शमसेरा फुटेरा (महोबा) |
| 74. | मुरानी (महोबा) | 96. | लिलवाही (महोबा) |
| 75. | मझलवारा (महोबा) | 97. | हरदुवा (मौदहा) |
| 76. | महेबा (महोबा) | 98. | हिवुवा (महोबा) |
| 77. | मवई (मौदहा) | | |
| 78. | मवईखुर्द (मौदहा) | | |
| 79. | रैपुराकला(महोबा) | | |
| 80. | रैपुराखुर्द (महोबा) | | |
| 81. | रैवारा (महोबा) | | |
| 82. | रिवईसुनैचा (महोबा) | | |
| 83. | रतौली (महोबा) | | |
| 84. | लुहेड़ी (महोबा) | | |
| 85. | सिरसीकला (मौदहा) | | |
| 86. | सलापुर (महोबा) | | |
| 87. | सिंधनपुर बघारी (महोबा) | | |
| 88. | सिचौरा (महोबा) | | |

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश (सदर)

र. १०

१०

श्री जिलाधिकारी महोबा
महोबा

जिलाधिकारी महोबा

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश

जिलाधिकारी महोबा

(4)

राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रान्तीय मार्ग / जनपदीय मार्ग पर स्थित राजस्व ग्रामों का वर्गीकरण

राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रान्तीय मार्ग पर स्थित ग्राम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर सागर (महोबा से कबरई)
महोबा, बीजानगर, किड़ारी, बरीपुरा, कालीपहाड़ी, गुणौरा, मोचीपुरा, बघवा, कबरई, अलीपुरा (कबरई देहात), टीकामऊ ।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर सागर (महोबा से छतरपुर कैमाहा तक)
महोबा, भटीपुरा, मुढहरा, दरीबा, रहिलिया, बसौरा, सिजहरी, बरा, श्रीनगर, बिलरही, कैमाहा ।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी मिजापुर (महोबा से राठ पथपहरा तक)
महोबा, दरीबा, चॉदौ, पथपहरा (परगना महोबा) रैपुराकला
4. राष्ट्रीय राजमार्ग (कबरई से खन्ना)
कबरई, गौहारी, मरहठी, बरबई, चियारा, खन्ना ।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी मिजापुर (कबरई से रिवईसुनैचा बाँदा रोड)
बघवा, नहदौरामाफ, रिवईसुनैचा, सुकौरा, पथपहरा (परगना मौँदहा)
6. प्रान्तीय मार्ग (महोबा से खजुराहो लौडी रोड कुम्हड़ौरामाफ तक)
महोबा, भटीपुरा, शाहपहाड़ी, कुम्हड़ौरामाफ ।
7. प्रान्तीय मार्ग (कैमाहा से नौगाँव)
लुहेड़ी, पिपराभाफ

जनपदीय मार्ग पर स्थित ग्राम

8. जनपदीय मार्ग (महोबा से चरखारी करहराकला तक)
महोबा, दरीबा, फतेहपुर बजारिया, चॉदौ, नथूपुरा, करहराकला

(6)

नगरीय क्षेत्र में शामिल कृषि भूमि की निर्धारित दरें

नगर पालिका परिषद महोबा की सीमान्तर्गत शामिल वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खड़जा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें- (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/डामर/खड़जा	चकमार्ग/अन्य		
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	90,00,000	85,00,000	81,00,000	70,00,000	68,00,000	55,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	80,00,000	65,00,000	62,00,000	58,00,000		

नगर पालिका परिषद महोबा की सीमा से बाहर स्थित वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग/पक्की सड़क/डामर/खड़जा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें- (प्रति हे० में)
(इसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम महोबा, भटीपुरा, दसीबा, फतेहपुर बजरिया, हैं)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/डामर/खड़जा	चकमार्ग/अन्य		
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	80,00,000	50,00,000	40,00,000	40,00,000	30,00,000	28,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	70,00,000	40,00,000	35,00,000	12,00,000		10,00,000

नगर पालिका परिषद महोबा
सहायक महाविभागाध्यक्ष
जनपदीय मार्ग
महोबा

(6)
 तहसील महोबा के नगरीय क्षेत्र में स्थित विशिष्ट सिगमेन्ट्स/सड़क पर स्थित आवासीय भूमि, भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें (मध्य सड़क से राष्ट्रीय/प्रान्तीय मार्ग से 30 मी0 तक जनपदीय मार्ग से 25 मी0 तक लिक मार्ग से 15 मी0 तक स्थित होने की दशा में सड़क के दोनो ओर (सिगमेन्ट प्रथम)

क0 सं0	विशिष्ट सिगमेन्ट्स/सड़क का नाम	सिगमेन्ट प्रथम की भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर में)
1	राठ रोड पर दूरसंचार विभाग कार्यालय से हनुमान मन्दिर तक	5300	75
2	दूर संचार विभाग कार्यालय के बगल से स्टेशन की ओर पुलिस चौकी को जोड़ने वाली सड़क पर	4700	75
3	राजस्व ग्राम चौकी में संकट मोचन हनुमान मन्दिर से (लिकरोड) रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क तक	3400	75
4	राठ रोड पर दूरसंचार विभाग कार्यालय से मिशन चौराहा (राठ चूंगी) तक	8500	95
5	मिशन चौराहा से रामलीला मैदान वाली सड़क सुभाष पुलिस चौकी तक	12000	115
6	सुभाष पुलिस चौकी से मनोज आइस फ़ैक्ट्री होते हुए मिशन चौराहा तक	8500	95
7	मनोज आइस फ़ैक्ट्री तिराहा से कीरत सागर तिराहा होते हुए रेलवे फाटक तक	6800	90
8	रेलवे फाटक से सिंचाई विभाग कार्यालय तक	9000	100
9	सिंचाई विभाग कार्यालय से पान अनुसंधान तक (चरखारी रोड)	5300	75
10	सुभाष पुलिस चौकी से ऊदल चौक होते हुए जिलाधिकारी निवास तक	17000	150
11	जिलाधिकारी निवास से दुर्गा ढाबा तक	13000	120
12	दुर्गा ढाबा से बीजानगर (मोड़ तक)	9000	90

34 निवन्धक
 महोबा (सदर)

तहसील महोबा के नगरीय क्षेत्र में स्थित विशिष्ट सिगमेन्ट्स/सड़क पर स्थित आवासीय भूमि, भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें (मध्य सड़क से राष्ट्रीय/प्रान्तीय मार्ग से 30 मी0 तक जनपदीय मार्ग से 25 मी0 तक लिक मार्ग से 15 मी0 तक स्थित होने की दशा में सड़क के दोनो ओर (सिगमेन्ट प्रथम)

महोबा

महोबा

महोबा

(7)

क0 सं0	विशिष्ट सिगनेप्टस/सड़क का नाम	सिमेन्ट प्रथम की भूति की निर्धारित दर (प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर में)
1	2	3	4
13	ब्लाक कार्यालय से महाविद्यालय तक (छतरपुर रोड)	13000	120
14	महाविद्यालय से रेलवे पुल तक (छतरपुर रोड)	7700	90
15	छतरपुर रोड से पुलिस लाइन होते हुए राठ रोड तक	4800	75
16	आल्हा चौक से तहसील चौराहा होते हुए लोक निर्माण विभाग तक	17000	150
17	तहसील चौराहा से हवेली दरवाजा होते हुए मदीना मस्जिद तक	10500	107
18	प्राइवेट बस स्टैण्ड से रोडवेज बस स्टैण्ड तक (बाईपास)	17000	150
19	मदीना मस्जिद तिराहे से सरकारी कालोनी वाली सड़क (कालोनी के आगे तलैया तक)	5300	75
20	पठा तिराहे से महाविद्यालय तक (पठा रोड)	12000	115
21	महाविद्यालय से पावर हाउस तक (पठा रोड) मस्जिद तक	5300	75
22	तहसील चौराहा से सरफा बाजार चौराहा होते हुए ऊदल चौक तक	17000	150
23	परमानन्द तिराहे से रामकथा मार्ग मोड़ तक (चरखारी बाई पास)	17000	150
24	रामकथा मार्ग मोड़ से कीरत स्नागर तिराहा तक (चरखारी बाई पास)	10500	100
25	रामकथा मार्ग	13000	120
26	पी.डबल्यू. डी. के बगल से बीजा नगर रोड पर नहर की पुलिया तक	5300	100
27	रोशन बाबा की मजार से चरखारी बाई पास तक	5500	75

श्री प्रकाश
नगर (पार)

श्री प्रकाश
नगर (पार)

श्री प्रकाश
नगर (पार)

श्री प्रकाश
नगर (पार)

श्री प्रकाश
नगर (पार)

(8)

क0 सं0	विशिष्ट सिगनेचर/सड़क का नाम	सिमेंट प्रथम की भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर में)
1	2	3	4
28	प्रेमबुक डिपो से भालू कुशवाहा की दुकान होते हुए चरखारी बाई पास तक जाने वाली सड़क	5300	100
29	जिलाधिकारी निवास से दूरिस्ट बंगला लिंक रोड	7000	90
30	शिश्ू शिक्षा निकेतन से डाकखाने तक (मुख्य सड़क तक)	17000	150
31	डा0 जुबैर के अस्पताल से जी0जी0आई0सी0 तक (मुख्य सड़क तक)	17000	150
32	शैलू गारमन्ट्स से हरप्रसाद साहू की दुकान तक	17000	150
33	सुभानी चौराहा से रोशन बाबा की मजार तक	17000	150
34	रोशनबाबा की मजार से हरप्रसाद साहू की दुकान होते हुए शारदा देवी मंदिर तक	17000	150
35	शारदा देवी मंदिर (साहू बुक डिपो) से शुभम होम्सोकलीनिक तक	17000	150
36	शुभानी चौराहा से जैन मंदिर होते हुए मोती मस्जिद तक	17000	150
37	मोती मस्जिद से खान टेलर्स की दुकान होते हुए पंजाबी बीज भंडार तक	17000	150
38	पंजाबी बीज भंडार से पी0सी0ओ0 की दुकान तक	17000	150
39	जैन मंदिर से सैययद बाबा की मजार तक	17000	150
40	सुभाष चौकी से गुफा चिकित्सालय होते हुए रोशन की चक्की तक	8500	95
41	रोशन की चक्की से मिशन चौराहा तक	7000	90
42	बन्धानपुरा प्रा0 स्कूल से छोटी चंद्रिका मन्दिर होते हुए पुलिस लाइन वाली रोड तक	4800	75

उप निदेशक
महोका (सदर)

सहायक गृहनिर्माण अधिकारी

सहायक गृहनिर्माण अधिकारी
विद्युत

सहायक गृहनिर्माण अधिकारी
विद्युत

सहायक गृहनिर्माण अधिकारी
विद्युत

(9)

क्र० सं०	विशिष्ट सिगनेचर/सड़क का नाम	सिगनेचर प्रथम की भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर में)
1	2	3	4
43	बन्धान पुरा प्रा० स्कूल से शिवताण्डव मन्दिर होते हुए पुलिस लाइन वाली रोड तक	4800	75
44	छतरपुर रोड पर मामना तिराहे से रेलवे लाइन तक मामना रोड	5300	75
45	छतरपुर रोड पर स्थित गैस एजेन्सी मोड़ से हवेली दरवाजा सड़क तक	5300	75
46	इलाहाबाद बैंक से चरखारी बाई पास सड़क को जोड़ने वाली सम्पर्क मार्ग (रिलायंस पेट्रोल पम्प तक	8000	90
47	आल्हा चौराहा से रामप्रसाद साहू के मकान के मोड़ से महावीरन के मंदिर होते हुए चरखारी बाईपास सड़क तक सम्पर्क मार्ग	8000	90
48	अवस्थी भोजनालय के बगल से चरखारी बाईपास सड़क को जोड़ने वाली सम्पर्क मार्ग	8000	90
49	ब्लाक कार्यालय के बगल से एस० एस० पी० निवास तक	6000	75
50	लौड़ी तिराहा से पीली कोठी तक (लौड़ी रोड)	12000	150
51	लौड़ी रोड पर पीली कोठी से मदरसा तक	5300	75
52	खोया मण्डी बरगाद के पेड़ के बगल से चरखारी बाई पास सम्पर्क मार्ग	5300	75
53	राजमार्ग / जनपदीय मार्ग में उपरोक्त सिगनेचर के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर स्थित होने पर	4000	64
54	राजमार्ग / जनपदीय मार्ग से भिन्न पुराने स्थापित पक्के मार्ग पर उपरोक्त सिगनेचर के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर स्थित होने पर	3000	60

जिलाधिकारी
मदरसा (बरेली)

महाश्वेत
महाश्वेत

महाश्वेत
महाश्वेत

महाश्वेत
महाश्वेत

महाश्वेत
महाश्वेत

नगरपालिका परिषद महोबा में स्थित आवासीय भूमि, भवन के निर्माण की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें (विशिष्ट सिग्नेज / सड़क / सेग्नेज प्रथम के लिए निर्धारित दर को छोड़कर)

क्र०सं०	वार्ड का नाम	वार्ड में सम्मिलित मुहल्ले का नाम	समीपस्थ विशिष्ट सिग्नेज प्रथम के लिये निर्धारित दर / सीमा के पश्चात् से 40 मी० तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्नेज द्वितीय)	समीपस्थ विशिष्ट सिग्नेज प्रथम के बाद स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्नेज तृतीय)	वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर)
1	2	3	4	5	6
1.	नयापुरा नैकाना	नयापुरा नैकाना	3300	2500	53
2.	फतेहपुर बजरिया	फतेहपुर बजरिया	2600	2100	50
3.	भीतर कोट	भीतर कोट शुक्लानापुरा माथुरनपुरा	3300 4300 5400	2500 3700 4300	53 60 63
4.	सुभाष नगर	सुभाष नगर कल्याण नगर	4500 4200	3800 3300	60 57
5.	बन्धान वार्ड	बंधानपुरा शेखनपुरा नयापुरा छिमरौरा पनागर पुरा कठकुलवा	2600 2600 2600 2600 2600	2100 2100 2100 2100 2100	48 48 48 48 48
6.	बजरंग नगर	बजरंग नगर गोधीनगर	4200 6500	3600 5000	55 67
7.	भटीपुरा	भटीपुरा	3000	2500	50
8.	रायकोट	रायकोट इमलीबरा दुबियाना शेखनपुरा	2600 2600 2600 2600	2100 2100 2100 2100	48 48 48 48
9.	आलमपुरा	आलमपुरा जकरियापीर पुरवा	3000 2800	2500 2500	48 48

उप निदेशक
महोबा (सदर)

नगरपालिका अधिकारी
महोबा

सहायक महाशिक्षक जिल्लापाल
महोबा

नगर जिलाधिकारी
भिन/सजस
नैन जिला निरन्तर
दरेश

जिलाधिकारी
महोबा

(11)

क्र०सं०	वार्ड का नाम	वार्ड में सम्मिलित मुहल्ले का नाम	समीपस्थ विशिष्ट सिग्नेमेट्स प्रथम के लिये निर्धारित दूरी/सीमा के पश्चात से 40 मी० तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्नेमेट द्वितीय)	समीपस्थ विशिष्ट सिग्नेमेट्स द्वितीय की निर्धारित सीमा के बाद स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्नेमेट तृतीय)	वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर)
1	2	3	4	5	6
10.	माथुरनपुरा	माथुरनपुरा मुन्डरनपुरा चौंसियापुरा	5100 5100 5100	4400 4400 4400	62 62 62
11.	सराफीपुरा	सराफीपुरा जुगयाना हटवारा रामनगर बन्धानपुरा	2600 2600 2600 2600 2600	2100 2100 2100 2100 2100	48 48 48 48 48
12.	छजमनपुरा	छजमनपुरा गौधीनगर	6500 6500	5000 5000	67 67
13.	सिंह भवानी नगर	सिंह भवानी समदनगर नयापुरा नैकाना	3000 2600 3000	2400 2100 2400	52 48 52
14.	बड़ीहाट	बड़ीहाट मकनियापुरा भटीपुरा	2700 2600 3000	2100 2100 2500	48 48 48
15.	गौधीनगर	गौधीनगर	6500	5000	67
16.	मकनियापुरा	मकनियापुरा भटीपुरा	2600 3000	2100 2500	48 48
17.	ऊदलचौक	कत्तीपुरा काजीपुरा	7200 7200	6500 6500	74 74
18.	नारुपुरा	नारुपुरा मिल्कीपुरा सत्तीपुरा	5000 4800 3300	4200 3800 2600	61 60 53

उप निदेशक
महोबा (महोबा)

उप निदेशक
महोबा

उप निदेशक
महोबा

उप निदेशक
महोबा

क्र०सं०	वार्ड का नाम	वार्ड में सम्मिलित मुहल्ले का नाम	समीपस्थ विशिष्ट सिग्मेण्ट्स प्रथम के लिये निर्धारित दूरी/सीमा के पश्चात् से 40 मी० तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्मेन्ट द्वितीय)	समीपस्थ विशिष्ट सिग्मेण्ट्स द्वितीय की निर्धारित सीमा के बाद स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्मेन्ट तृतीय)	गाण्डिभ्यक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर)
1	2	3	4	5	6
19.	नैकानापुरा	नैकानापुरा छजमनपुरा दपलाना डडियापुरा छिपयाना, कसौरा	5000 6500 4800 4800 4800	4200 5400 4200 4200 3300	61 67 61 50 61
20.	मगरियापुरा	मगरियापुरा पिटाकपुरा शेखनपुरा महतवाना दुबियाना	2600 2600 2600 2600 2600	2100 2100 2100 2100 2100	48 48 48 48 48
21.	हवेलीदरवाजा	बडीहाट हवेलीदरवाजा नैकाना	2600 2600 2600	2100 2100 2100	48 48 48
22.	ग्रान्गंज	ग्रान्गंज पठानपुरा शुक्लाना	6500 6500 4800	5400 5400 4200	74 74 60
23.	करवाथाई	करवाथाई कादीपुरा मलकपुरा सत्तीपुरा	4800 3600 3600 3600	4200 3000 2600 2600	50 52 52 52

उपनिवेशक
महोबा (सदर)

सहायक निदेशिका
महोबा

सहायक निदेशिका
महोबा

सहायक निदेशिका
महोबा

सहायक निदेशिका
महोबा

(13)

क्र०सं०	वार्ड का नाम	वार्ड में सम्मिलित मुहल्ले का नाम	समीपस्थ विशिष्ट सिग्नेज्डस प्रथम के लिये निर्धारित दूरी/सीमा के पश्चात् से 40 मी० तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्नेज्ड द्वितीय)	समीपस्थ विशिष्ट सिग्नेज्डस द्वितीय की निर्धारित सीमा के बाद स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्नेज्ड तृतीय)	वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर)
1	2	3	4	5	6
24.	जारीगंज / जवाहर गंज	बाजापुरा ढलौतनपुरा लंघानपुरा न्यारियानपुरा जारीगंज काजीपुरा	2600 2600 2600 2600 7000 7000	2100 2100 2100 2100 6000 6000	48 48 48 48 74 74
25.	मलकपुरा	मलकपुरा आलमपुरा	3600 3000	2600 2500	48 48
26.		खनगा बाजार तमसई बाजार पुरानी गल्ला मण्डी सरफा बाजार	15000 15000 15000 15000	13000 13000 13000 13000	115 115 115 115

महोबा (दरदर)

उपनिवेशिका

महोबा

सहायक महालिखिका जलसंधन

महोबा

परिपालिका
निरा/राज्य
देन जिला निगम
महोबा

महोबा

(14)

नगरीय क्षेत्र नगर पंचायत कबरई की कृषि भूमि की निर्धारित दरें
 नगर पंचायत कबरई की सीमान्तर्गत शामिल वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग/पक्की सड़क/जामर/खड़जा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें— (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/जामर/खड़जा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	70,00,000	68,00,000	65,00,000	55,00,000	52,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	60,00,000	48,00,000	47,00,000	45,00,000	42,00,000

नगर पंचायत कबरई की सीमा से बाहर स्थित वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग/पक्की सड़क/जामर/खड़जा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें— (प्रति हे० में)
 (इसके अन्तर्गत राजस्व ग्राम कबरई, मोचीपुरा, गौहारी, मरहठी, बघवा है)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/जामर/खड़जा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	60,00,000	35,00,000	30,00,000	22,00,000	20,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	50,00,000	25,00,000	25,00,000	7,50,000	6,25,000

उप निरूपक
 महोबा (सदर)

सुपरिन्टेंडेंट
 महोबा

प्रमुख महाजिदक्षक विभाग
 महोबा

नगर विकास कार्यालय
 जिला राजस्व
 महोबा

जिला अधिकारी
 महोबा

नगर पंचायत कबरई की सिगमेंट प्रथम की भूमि की निर्धारित दरे

तहसील महोबा के नगर पंचायत कबरई में स्थित विशिष्ट सिगमेंट्स / सड़क पर स्थित आवासीय भूमि, भवन की निर्धारित दरे एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरे (मध्य सड़क से राष्ट्रीय / प्रान्तीय मार्ग से 30 मी० तक जनपदीय मार्ग से 25 मी० तक लिंक मार्ग से 15 मी० तक स्थित होने की दशा में सड़क के दोनो ओर

क्र० सं०	विशिष्ट सिगमेंट्स / सड़क का नाम	सिगमेंट प्रथम की भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर में)
1	2	3	4
1.	महोबा बाँदा मार्ग कबरई तिराहा से बाँदा की ओर स्टेशन रोड चौराहा तक	7200	77
2.	महोबा बाँदा मार्ग कबरई तिराहा से महोबा की ओर पंचपहरा पहाड़ तिराहा तक	7200	77
3.	कबरई तिराहा से कानपुर रोड पर सेन्ट्रल ग्रेनाइट तिराहा तक	9600	83
4.	कबरई कृन्हेटा मार्ग पर प्रा० विद्यालय राजीव नगर कबरई	4200	60
5.	कबरई महोबा मार्ग पर वर्मा तालाब तक	3600	56
6.	राजमार्ग / जनपदीय मार्ग में उपरोक्त सिगमेंट के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर स्थित होने पर	3600	56
7.	राजमार्ग / जनपदीय मार्ग से भिन्न पुराने स्थापित पक्के मार्ग पर उपरोक्त सिगमेंट के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर स्थित होने पर	3000	51

उप निवृत्त
महोबा (सदर)

महोबा
राजकीयलाशिकारी

आयुक्त महानिरीक्षक निवृत्त
महोबा

महोबा
पर निवृत्त
महोबा
महोबा

नगर पंचायत कबरई में सम्मिलित मुहल्लों में स्थित आवासीय भूमि एवं भवन के निर्माण की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें

(विशिष्ट सिग्नेचर प्रथम/सड़क/सेग्मेंट प्रथम के लिए निर्धारित दर को छोड़कर)

क्र०सं०	वार्ड का नाम	वार्ड में सम्मिलित मुहल्ले का नाम	समीपस्थ विशिष्ट सिग्नेचर प्रथम के लिये निर्धारित दूरी/सीमा के पश्चात से 40 मी० तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्नेचर द्वितीय)	समीपस्थ विशिष्ट सिग्नेचर प्रथम के बाद स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्नेचर तृतीय)	वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर)
1	2	3	4	5	6
1.	विशाल नगर	विशाल नगर	3000	2100	50
2.	शास्त्री नगर	शास्त्री नगर	2100	1200	45
3.	अम्बेडकर नगर	अम्बेडकर नगर	3000	2100	50
4.	किदवई नगर	किदवई नगर	3000	2100	50
5.	जवाहर नगर	जवाहर नगर	2100	1200	45
6.	झालकारी बाई नगर	झालकारी बाई नगर	2600	1800	50
7.	विवके नगर	विवके नगर	2400	1800	50
8.	सुभाष नगर	सुभाषनगर	2100	1200	45
9.	आजाद नगर	आजाद नगर	3000	2100	50
10.	रानी लक्ष्मीबाई नगर	रानी लक्ष्मीबाई नगर	2100	1200	50
11.	इन्दिरा नगर	इन्दिरा नगर	3000	2100	50
12.	भगत सिंह नगर	भगत सिंह नगर	2100	1200	50
13.	गोधीनगर	गोधीनगर	2100	1200	50
14.	राजीव नगर	राजीव नगर	2100	1200	50
15.	राजेन्द्र नगर	राजेन्द्र नगर	3000	2100	50
16.	अलीपुरा (कबरई देहात)	अलीपुरा (कबरई देहात)	1800	1200	45

उप निवन्धन
महोबा (सदर)

महोबा

नगरपालिका महानिरीक्षक कार्यालय
महोबा

नगर (जिलाधिकारी)
दर/राजस्व
नरन जिला निवन्धन
महोबा

महोबा

महोबा

अर्धनगरीय क्षेत्र में शामिल कृषि भूमि की निर्धारित दरें -

अर्धनगरीय क्षेत्र मुहहरा (रिलवेपुल से महोबा की ओर), मामना (रिलवेपुल से महोबा की ओर), चौंदी (प्राथमिक स्कूल तक), किडारी (महोबा से किडारी रेलवे फाटक तक), बीजानगर (पी०डब्ल्यू०डी० आफिस से पहली नहर तक), शाहपहाड़ी (शाहपहाड़ी की सीमा तक) के राजस्व ग्राम में स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रन्तीयमार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग / पक्की सड़क / जामर / खड़जा, चकमार्ग / अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें- (प्रति हे०) में

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रन्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग / पक्की / कच्ची सड़क / जामर / खड़जा	चकमार्ग / अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रन्तीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रन्तीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित / लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	38,00,000	25,00,000	20,00,000	19,00,000	18,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	31,00,000	20,00,000	18,00,000	1200,000	9,00,000

अर्धनगरीय क्षेत्र के राजस्व मुहहरा, मामना, चौंदी, किडारी, बीजानगर, नथपुरा उपरोक्त वर्गीकरण में उल्लिखित क्षेत्र के अतिरिक्त स्थान पर स्थित होने पर वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रन्तीयमार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग / पक्की सड़क / जामर / खड़जा, चकमार्ग / अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें- (प्रति हे०) में

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रन्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग / पक्की / कच्ची सड़क / जामर / खड़जा	चकमार्ग / अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रन्तीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रन्तीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित / लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	38,00,000	23,00,000	18,00,000	17,00,000	16,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	31,00,000	19,00,000	16,00,000	1000,000	8,00,000

उप निबन्धक
महोबा (सरर)

उप निबन्धक
महोबा

सहायक गृहनिर्माण अधिकारी
महोबा

पर निबन्धक
महोबा

महोबा

(18)
अर्धनगरीय क्षेत्र रहितिया के राजस्व ग्राम में स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रन्तीयमार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग / पक्की सड़क / डामर / खड़जा, चकमार्ग / अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें- (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग / पक्की / कच्ची सड़क / डामर / खड़जा	चकमार्ग / अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रान्तीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रान्तीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित / लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	30,00,000	18,00,000	14,00,000	13,00,000	12,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	25,00,000	15,00,000	12,00,000	5,00,000	4,50,000

अर्धनगरीय क्षेत्र विलबई, पत्रपहरा के राजस्व ग्राम में स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रन्तीयमार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग / पक्की सड़क / डामर / खड़जा, चकमार्ग / अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें- (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग / पक्की / कच्ची सड़क / डामर / खड़जा	चकमार्ग / अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रान्तीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रान्तीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित / लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	36,00,000	22,00,000	16,00,000	15,00,000	14,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	30,00,000	18,00,000	14,00,000	5,00,000	4,50,000

अर्धनगरीय क्षेत्र मिरतला, बम्हौरी गुसाई, चंदपुरा, बनियातला माहिनपुरा के राजस्व ग्राम में स्थित वह कृषि भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रन्तीयमार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग / पक्की सड़क / डामर / खड़जा, चकमार्ग / अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें- (प्रति हे० में)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग / प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग / पक्की / कच्ची सड़क / डामर / खड़जा	चकमार्ग / अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रान्तीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय / प्रान्तीय / जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित / लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	36,00,000	21,00,000	15,00,000	14,50,000	14,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	30,00,000	18,00,000	14,00,000	5,00,000	4,50,000

उप निवेदनकर्ता
महोबा (सदर)

महोबा
महोबा

सहायक नगरपालिका अधिकारी
महोबा

नगरपालिका
महोबा

महोबा

(19)
अर्ध नगरीय क्षेत्र की सिगमेन्ट प्रथम की भूमि की निर्धारित दरें

तहसील महोबा के अर्धनगरीय क्षेत्र में स्थित विशिष्ट सिगमेन्ट्स/सड़क पर स्थित आवासीय भूमि, भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें (मध्य सड़क से राष्ट्रीय/प्रान्तीय मार्ग से 30 मी0 तक जनपदीय मार्ग से 25 मी0 तक लिंक मार्ग से 15 मी0 तक स्थित होने की दशा में सड़क के दोनो ओर)

क्र0 सं0	विशिष्ट सिगमेन्ट्स/सड़क का नाम	सिगमेन्ट प्रथम की भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर में)
1	2	3	4
1.	मौजा किडारी, बीजानगर, रहलिया, मामना, मुडहरा, चाँदौ, नथपुरा के राजमार्ग	4300	65
2.	बिलबई, मिरतला, बम्हौरी गुसाई, चन्दपुरा, पचपहरा (परगना महोबा), बनियातला महानपुरा की प्रमुख सड़क (जामरी कूत रोड जो ग्राम को अन्या ग्राम या मुख्य मार्ग से जोड़ता है)	3100	60
3.	राष्ट्रीय/जनपदीय मार्ग पर उपरोक्ता निर्धारित सेगमेन्ट के अतिरिक्त अन्य किसी की स्थान पर स्थित होने पर	4000	62
4.	राष्ट्रीय/जनपदीय मार्ग से सिन्ध पुराने स्थितिपत पक्के मार्ग पर उपरोक्त सिगमेन्ट के अतिरिक्त अन्य किसी भी मार्ग पर	3000	56

अर्धनगरीय क्षेत्र में शामिल ग्रामों में स्थित आवासीय भूमि एवं भवन के निर्माण की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें

(विशिष्ट सिगमेन्ट प्रथम/सड़क/सिगमेन्ट प्रथम के लिए निर्धारित दर को छोड़कर)

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	समीपस्थ विशिष्ट सिगमेन्ट्स प्रथम के लिये निर्धारित दूरी/सीमा के पश्चात से 40 मी0 तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी0) (सिगमेन्ट द्वितीय)	समीपस्थ विशिष्ट सिगमेन्ट्स द्वितीय की निर्धारित सीमा के बाद स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी0) (सिगमेन्ट तृतीय)	वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर)
	2	3	4	5
1	मौजा किडारी, बीजानगर, रहलिया, मामना, मुडहरा, चाँदौ, नथपुरा, शाहपहाड़ी	2800	2500	42
2.	बिलबई, पचपहरा (परगना महोबा)	2400	2000	42
3.	मिरतला, बम्हौरी गुसाई, चन्दपुरा, बनियातला महानपुरा,	1800	1200	42

उप निरन्धक
महोबा (सदर)

महोबा

महोबा

महोबा

महोबा

(20)

ग्रामीण क्षेत्र (श्रेणी क) के अन्तर्गत स्थित कृषि भूमि की दरें

श्रीनगर, डहरा, गुर्गौरा, गंज, कालीपहाड़ी, पहरा, मकरवई, बीलादक्षिण, धरौन, सिजहरी, उटियाँ, खन्ना जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग/पक्की सड़क/जामर/खड़जा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें- (प्रति हे० मे)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/जामर/खड़जा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	36,00,000	12,00,000	9,00,000	8,00,000	7,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	30,00,000	10,00,000	8,00,000	7,50,000	6,00,000

ग्रामीण क्षेत्र (ख) के अन्तर्गत स्थित कृषि भूमि की दरें -

ग्रामीण क्षेत्र (श्रेणी ख) के अन्तर्गत समस्त राजस्व ग्रामों में स्थित वह कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंकमार्ग/पक्की सड़क/जामर/खड़जा, चकमार्ग/अन्य पर स्थित है, उसकी निर्धारित दरें- (प्रति हे० मे)

विकीत क्षेत्रफल की सीमा	राष्ट्रीय राजमार्ग/प्रान्तीय मार्ग	जनपदीय मार्ग	लिंकमार्ग/पक्की/कच्ची सड़क/जामर/खड़जा	चकमार्ग/अन्य	
				सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० तक के अन्दर स्थित	सड़क से सटे गाटा को छोड़कर किन्तु राष्ट्रीय/प्रान्तीय/जनपदीय मार्ग से 200 मी० के बाद स्थित/लिंकमार्ग से सटे गाटा को छोड़कर की दरें
(क) 0.101 हे० तक	36,00,000	10,00,000	9,00,000	7,50,000	6,00,000
(ख) 0.101 हे० से अधिक की स्थिति में	30,00,000	8,00,000	7,00,000	4,50,000	3,75,000

उप निवन्तक
महोबा (तहर)

उप निवन्तक
महोबा

सहायक महाकिसीक्षक निवन्तक
महोबा

सहायक निवन्तक
महोबा

सहायक निवन्तक
महोबा

ग्रामीण क्षेत्र (श्रेणी क व ख) की सिग्नेन्ट प्रथम की भूमि की निर्धारित दरें


(11)

तहसील महोबा के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विशिष्ट सिग्नेन्टस/सड़क पर स्थित आवासीय भूमि, भवन की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें (मध्य सड़क से राष्ट्रीय/ग्रामीण मार्ग से 30 मी० तक जनपदीय मार्ग से 25 मी० तक लिंक मार्ग से 15 मी० तक स्थित होने की दशा में सड़क के दोनों ओर)

.क० सं०	विशिष्ट सिग्नेन्टस/सड़क का नाम	सिग्नेन्ट प्रथम की भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमीटर)	वाणिज्यिक भवन की निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर में)
1	1. छतरपुर रोड पर भण्डरा तिराहा से मनसा पूर्ण हनुमान मंदिर तक (श्रीनगर व बिलरही ग्राम)	3600	50
2.	छतरपुर रोड से बेलाताल रोड संपा मोड़ तक (श्रीनगर ग्राम)	2800	48
3.	छतरपुर रोड से भडरा रोड पर किशोर गंज प्रा० पाठशाला तक	2800	48
4	छतरपुर बस स्टैण्ड से बाजार हेतु जाने वाली सड़क डा० जितेन्द्र गुप्ता की दुकान तक एवं स्थापित बाजार की सड़कें (श्रीनगर ग्राम)	3200	48
5.	कैमाहा, सुरहा, करहराकला, ननौरा, भण्डरा, सिजहरी, पवा, छानीकला, पहरा, पिपरागाफ, छिकहरा, गयोड़ी ग्रामों की प्रमुख सड़क (जामरीकृत रोड जो ग्राम से अन्य ग्राम या मुख्य सड़क से जोड़ता है)	2600	45
6.	राष्ट्रीय /जनपदीय मार्ग पर उपरोक्त निर्धारित सेग्नेन्ट के अतिरिक्त अन्य किसी की स्थान पर स्थित होने पर	3000	45
7.	उपरोक्त के अतिरिक्त शेष अन्य ग्रामों की प्रमुख सड़क (जामरीकृत रोड जो ग्राम से अन्य ग्राम या मुख्य सड़क को जोड़ता है)	1500	48

ग्रामीण क्षेत्र (क) एवं (ख) में शामिल ग्रामों में स्थित आवासीय भूमि भवन के निर्माण की निर्धारित दरें एवं वाणिज्यिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराये की दरें (विशिष्ट सिग्नेन्ट प्रथम/सड़क/सिग्नेन्ट प्रथम के लिए निर्धारित दर को छोड़कर)

क्र०सं०	ग्राम का नाम	समीपस्थ विशिष्ट सिग्नेन्टस प्रथम के लिये निर्धारित दूरी/सीमा के पश्चात् से 40 मी० तक स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्नेन्ट द्वितीय)	समीपस्थ विशिष्ट सिग्नेन्टस द्वितीय की निर्धारित सीमा के बाद स्थित भूमि की निर्धारित दर (प्रति वर्गमी०) (सिग्नेन्ट तृतीय)	वाणिज्यिक भवन के लिए निर्धारित मासिक किराये की दर (प्रति वर्गमीटर)
1	2 श्रीनगर, बिलरही, खन्ना	3	4	5
1.	मौजा, कैमाहा, गयोड़ी, सुरहा, करहराकला, ननौरा, भण्डरा सिजहरी, पवा, छानीकला, पहरा, पिपरागाफ, छिकहरा, बरा, बसौरा, कुम्हड़ौरागाफ, बरीपुरा	1800	1200	42
2.	उपरोक्त ग्रामों को छोड़कर शेष सभी ग्राम	1200	900	40
3.		700	600	40



 जिलाधिकारी महोबा



 जिलाधिकारी महोबा



 जिलाधिकारी महोबा



 जिलाधिकारी महोबा

आवासीय भवन हेतु निर्माण की दरे

1. आवासीय भवनों के निर्माण मूल्य के लिए निर्धारित दरे निम्न प्रकार है :-
आर0 सी0सी0 / आर0 बी0सी0 / परधर पटिया की छत का निर्माण दरे कमशः 8000 / 7000 / 6000 प्रति वर्ग मीटर,
टीनशेड / एस्बेत्स की छत का निर्माण दरे 4000 / - प्रति वर्ग मीटर, खपरैल, धन्नी छानछप्पर का निर्माण दरे 3000 / -
प्रति वर्गमीटर।
2. यदि कोई आवासीय भवन निर्माण सिधि से 20 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है, जो उस पर ह्रास मूल्य अनुमन्य होगा
तथा भवन के ह्रास मूल्य आगणन हेतु सूत्र निम्न प्रकार है:-
- 3.

$$\begin{aligned} \text{निर्माण का कुल मूल्य} &= \text{आव्छाहित क्षेत्रफल} \times \text{निर्धारित दरे} \\ &= \frac{\text{निर्माण का मूल्य}}{\text{भवन की कुल आयु}} \times \text{भवन की वास्तविक आयु} \times 9 \end{aligned}$$


$$\text{स्टाम्प देयता हेतु निर्माण का मूल्य} = \text{निर्माण का मूल्य} - \text{मूल्य ह्रास}$$

भवन की कुल आयु वर्गीकरण के आधार पर आंकी गयी है।


- (1) आर0सी0सी0 छत की निर्माण का भवन की कुल आयु - 80 वर्ष
 - (2) आर0बी0सी0 छत की निर्माण का भवन की कुल आयु - 60 वर्ष
 - (3) टीन शैड एजवेस्टस दार धन्नी निर्माण की कुल आयु - 50 वर्ष
- निर्माण के स्कैप मूल्य निर्माण के कुल मूल्य के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। मूल्य ह्रास के लिये विकेता को नोटरी शपथ पत्र के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उप निबन्धक
महोबा (सदर)


जिला निर्माण अधिकारी
महोबा


सहायक जिला निर्माण अधिकारी
महोबा

नगर जिलाधिकारी
विनी शिखर
महोबा



जिला निर्माण अधिकारी
महोबा

कृषि भूमि के मूल्यांकन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश


1. नगर पालिका सीमा व टाउन एरिया की सीमा के अन्दर/बाहर स्थित होने का प्रमाणपत्र सड़क व आबादी से दूरी, सड़क का नाम एवं उसका प्रकार तथा कृषि भूमि की श्रेणी, सम्बन्धित खसरा नम्बर अधिग्रहण में है अथवा नहीं का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जायेगा तथा जिन ग्रामों में चकबन्दी चल रही हो उनके प्रमाणपत्र चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
2. यदि एक लेखपत्र में एक से अधिक गाटा संख्याओं में स्थित भूमि का अन्तरण होता है तो मूल्यांकन हेतु प्रत्येक गाटा संख्या में स्थित रकबे को अलग-2 मानते हुए अवस्थित के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।
3. यदि विकीत कृषि भूमि बाजार/बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन/कारखानों/शैक्षिक संस्थाओं/अस्पतालों/सरकारी कार्यालयों एवं आबादी से 100 मीटर तक परिधि में स्थित है तो उस कृषि भूमि के निर्धारित दर में 35% तथा 100 मीटर के बाद एवं 200 मीटर तक की परिधि में कृषि भूमि स्थित है तो निर्धारित दर में 25% की वृद्धि करते हुए मूल्यांकन किया जायेगा। यदि किसी विकीत भूमि में पक्का कुर्वा है तो कुर्वा की मालियत 80,000/- रु0 आंकी जायेगी तथा टयूब वेल की मालियत 2,20,000/- रु0 आंकी जायेगी।
4. पेड़ों का मूल्यांकन वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के निर्धारित दरों से किया जायेगा।
5. कृषि भूमि के बैनामों में विकीत भूमि की 200 मी0 की परिधि में स्थित परिसम्पत्तियों का नजरी नक्शा प्रत्येक लेखपत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
6. नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि के विक्रय पर भूमि का फोटो लगाना अनिवार्य होगा।
7. जिन ग्रामों में चकबन्दी चल रही है, के अन्तर्गत एक से अधिक गाटा संख्याओं के विक्रय की स्थिति में यदि वह एक दूसरे से मिले हुये हो और उनसे एक चक बन रहा हो तो उन्हें एक गाटा मानते हुये मूल्यांकन किया जायेगा।
8. जनपद महोबा की सड़क किनारे (दोनों ओर) स्थित खसरा नम्बरानों तथा आबादी से 200 मी0 त्रिज्या के अन्दर स्थित खसरा नम्बरानों की सूची संलग्न है।
9. ग्रान्तीय मार्ग से आशय उस मार्ग से है जो कम से कम दो या अधिक जनपदों से गुजरता है तथा जनपदीय मार्ग का आशय है जो सिर्फ तहसील को जनपद से जोड़ता है।
10. सड़क पर स्थित गाटे का तात्पर्य सम्पूर्ण गाटे से है।
11. मुख्य सड़क से गाँव को जोड़ने वाली सड़क या गाँव को गाँव से जोड़ने वाली सड़क को चाहे वह कच्ची हो या पक्की लिंक मार्ग माना जायेगा।
12. सड़क से 200 मी0 तक के अन्दर की दूरी सड़क से सटे गाटा संख्या को छोड़कर लागू होगी। सड़क से सटे गाटा नम्बर पर सड़क की ही निर्धारित दूरी लागू होगी।




सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
महोबा


महोबा




महोबा


महोबा


महोबा

आवश्यक निर्देश

1. यदि लेखपत्र में ऐसी भूमि का अन्तरण होता है जहाँ कोई मुहल्ला कायम नहीं है तो सबसे नजदीक मोहल्ले का नाम लेखपत्र में लिखा जायेगा और उस भूमि का मूल्यांकन उस मुहल्ले के लिए निर्धारित दर से आंगणित होगा।
2. रेट लिस्ट में प्रदर्शित मासिक किराये की दर भूमि तल (ग्राउन्ड फ्लोर) के लिए निर्धारित है। यदि वाणिज्यिक भवन प्रथम तल /द्वितीय तल या बेसमेंट में स्थित है तो उक्त किराये की दर में 25 प्रतिशत की कमी कर मूल्यांकन किया जायेगा।
3. (I) यदि प्लाट /मकान /वाणिज्यिक भवन दो रास्तों पर स्थित है तो उस सम्पत्ति के मूल्यांकन में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी।
(II) विशिष्ट सिग्नेपेटस /सिग्नेपेटस प्रथम में स्थित सम्पत्ति को छोड़कर शेष क्षेत्रों में स्थित सम्पत्ति (प्लाट एवं आवासीय मकान) की चौहद्दी में कोई वाणिज्यिक भवन /बसस्टैण्ड /रेलवे स्टेशन /कारखाने /शैक्षिक संस्थाओं / अस्पतालों /सरकारी कार्यालयों /आदि स्थित है तो उक्त सम्पत्ति के मूल्यांकन में 10 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी।
उपरोक्त (I) व (II) दोनों स्थितियों विद्यमान होने की दशा में सम्पत्ति के मूल्यांकन में 20 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जायेगी।
यदि कोई सम्पत्ति दो मार्गों पर स्थित है तो उच्चतर दर मान्य होगी।
4. प्रत्येक अन्तरण विलेख में पक्षकारों द्वारा सम्पत्ति का नजरी नक्शा संलग्न किया जायेगा तथा बाजारी मूल्य को प्रभावित करने वाले समस्त तथ्यों का आंकन सत्यतापूर्वक एवं सम्पूर्णता पूर्वक किया जाना अनिवार्य है। सिग्नेन्ट पर स्थित सम्पत्ति पर उस सिग्नेन्ट के निर्धारित दर के अनुसार ही मूल्यांकन किया जायेगा।
5. ईट भट्टों के सम्बन्ध में बैनामा सिट्टी मानते हुये सिट्टी का मूल्य 15/- रु0 प्रति घनफिट होगा।
6. नगरीय क्षेत्र के कृषि /आवासीय /वाणिज्यिक बैनामों में पोस्टकार्ड साइज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. प्लान्ट एवं मशीनरी का मूल्यांकन "जिला उद्योग केन्द्र" द्वारा किया जायेगा।
8. लेखपत्र में कृषि भूमि से इतर विक्रीत सम्पत्ति के मोहल्ले का नाम एवं उसकी चौहद्दी में स्थित सड़क का नाम (कहाँ से कहाँ तक) उल्लिखित करना अनिवार्य होगा।
- 9.

(ए0के0 यादव)  (विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र) (कृष्ण पाल)  (ए0के0 लक्ष्मी) (डा0 काजल) 
उप निबन्धक, महोबा (सादर) उपजिलासिम्मेन्टरी, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, अपर विभागाध्यक्षारी (वि0/रा10), जिलाधिकारी, महोबा (सादर) महोबा (सादर) सहायक महाक्षेत्रीय, जिलाध्यक्ष महोबा महोबा (सादर) महोबा

25


चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा के लिए वृक्षों के मूल्य दर अनुसूची
(दिनांक 04.05.2012 से प्रभावी)


क्र० सं०	प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग (डेसी मी० में)						
		0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6 से ऊपर
1	समल तथा बीजासाल	36.00	92.00	406.00	1478.00	4399.00	7318.00	10256.00
2	गोशाम तथा साल	18.00	92.00	406.00	1219.00	2939.00	4399.00	7318.00
3	असम (संद) हल्दी (कदम) मधुम परिस्ट, जामुन, महुआ, आम, मिरस, नीम	18.00	56.00	314.00	721.00	2328.00	2939.00	4435.00
4	धौ. करधई, अमलतास, गरफो, कहु, असिड (सेजा)	18.00	56.00	92.00	185.00	462.00	776.00	1219.00
5	खैर	18.00	92.00	370.00	1478.00	2199.00	3660.00	4269.00
6	समल	18.00	56.00	92.00	462.00	906.00	1478.00	1830.00
7	कन्जू (चिलबिल)	18.00	56.00	148.00	462.00	906.00	1275.00	1719.00
8	सलाई	18.00	36.00	148.00	277.00	518.00	776.00	1016.00
9	बोरिंग (धुरकुल)	18.00	36.00	92.00	462.00	906.00	1350.00	1719.00
10	खिविध	18.00	36.00	92.00	148.00	314.00	610.00	906.00

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग (सेमी० में)								
		0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40 से ऊपर
11	कुन्तल	10.00	18.00	56.00	111.00	185.00	295.00	406.00	591.00	832.00
12	बांस	रु० 406.00 प्रति सैकड़ा								
13	कालिया	रु० 1219.00 प्रति सैकड़ा								
14	कलौंस	(क) रु० 148.00 प्रति कुन्तल								
		(ख) रु० 412.00 प्रति बैलगाड़ी								
		(ग) रु० 129.00 प्रति खच्चर/घाड़ा								
		(घ) रु० 36.00 प्रति सरबोझ								
15	शाखतराशी चारा पत्ती हेतु-	रु० 40.00 प्रति वृक्ष								

नोट-

1. उपरोक्त दरें हरे खड़े या उखड़े योग्य वृक्षों के लिये लागू होंगी।
2. योग्य मूखे वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत होंगी।
3. अयोग्य वृक्षों के लिए दरें उपरोक्त दरों का 50 प्रतिशत होंगी।
4. उपरोक्त क्रम में 0, 1, 2, 3 केवल गोपनीय अनुमान बनाने हेतु लागू होंगी। अवेध करान की दशा में वृक्ष का पूर्ण मूल्य लिया जायेगा।


 उप-जिलाधिकारी
 वित्त/राजस्व
 राँदा जिला निबन्धक
 पद्मोबा


 (बी०के० चौपड़ा)
 वन संरक्षक
 चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा